

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4339 /

जबलपुर, दिनांक 26/09/2019

II-13-47/18

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16 (1) सहपाठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा शर्त (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1978 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, निलंबित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के विभागीय जॉब प्रकरण में श्री डी.के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को जॉबकर्ता अधिकारी एवं श्री दिनेश सिंह, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4340 /

जबलपुर, दिनांक 26/09/2019

II-13-47/18

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, पदवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र.
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/(आई.एल.)/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
3. ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. रजिस्ट्रार (एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री डी.के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ कि वे जॉब रिपोर्ट 90 दिवस में प्रस्तुत करें,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री दिनेश सिंह, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र.
10. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. एक अतिरिक्त प्रति स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, निलंबित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- क्रमांक 5, 9, 10, 11 एवं 12 के लिये आरोपपत्र, अधिकांश का विवरण, दस्तावेजों एवं गवाहों की सूची की प्रतिलिपि।

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

